[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 01/2020-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2020

सा.का.नि.(अ).- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर, कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक हैं, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2017- सीमाशुल्क तारीख 30 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं.785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,

I. सारणी में, -

(1) क्रम सं. 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“3क.	0101 21 00	शुद्ध वंशज प्रजनन अश्व	कुछ नहीं	-	- ”;

(2) क्रम सं. 5, क्रम सं. 7, क्रम सं. 7क, क्रम सं. 7ख, क्रम सं. 8, क्रम सं. 9, क्रम सं. 10, क्रम सं. 11, क्रम सं. 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(3) क्रम सं. 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“28.	0802 90 00	सभी माल	30%	-	- ”;

(4) क्रम सं. 36, क्रम सं. 38, क्रम सं. 40, क्रम सं. 47 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(5) क्रम सं. 55 के सामने, स्तंभ (6) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “9” रखी जाएगी;

(6) क्रम सं. 56 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(7) क्रम सं. 57 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“57.	1511 10 00	कच्चा ताड़ तेल	44%	-	- ”;

(8) क्रम सं. 58, क्रम सं.59, क्रम सं.68, क्रम सं.69, क्रम सं.72, क्रम सं.78, क्रम सं.83, क्रम सं.88क, क्रम सं.89, क्रम सं.92, क्रम सं.93, क्रम सं.94, क्रम सं.95, क्रम सं.98, क्रम सं.99, क्रम सं.105, क्रम सं.108, क्रम सं.113, क्रम सं.115 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(9) क्रम सं. 139 के सामने, स्तंभ (3) में, मद (ii) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :- “(iii) अत्यंत निम्न सल्फर ईंधन तेल (वीएलएसएफओ) जिसमें आईएसओ 8217:2017 आरएमजी380, गाढ़ापन सीएसटी 220-400 मानक/समुद्रीय ईंधन तेल 0.5% (एफओ)” हो;

(10) क्रम सं. 147 के सामने, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“क्र.सं. 150, क्र.सं.151, क्र.सं.153 में उल्लिखित माल और उप शीर्ष 2713 11 या 2713 12 के अधीन आने वाले पैट्रोलियम कोक से भिन्न सभी माल (नेफ्था के सिवाय) ;

(11) क्रम सं. 148, क्रम सं. 149, क्रम सं. 152 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(12) क्रम सं. 157 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“157क.	2713 12 10, 2713 12 90	कैल्सिनाइड पैट्रोलियम कोक	7.5%	-	-”;

(13) क्रम सं. 160 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(14) क्रम सं. 169 के सामने, स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर “28 (2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2809 20 10, 2810 00 20, 2814, 2823 00 10 और 2843 के सिवाय)” प्रविष्टियां रखी जाएगी;

(15) क्रम सं. 170 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(16) क्रम सं. 177 के सामने, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर "फास्फोरिक अम्ल" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(17) क्रम सं. 205, क्रम सं. 212, क्रम सं. 220, क्रम सं. 243, क्रम सं. 244, क्रम सं. 245, क्रम सं. 246, क्रम सं. 247 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(18) क्रम सं. 262 के सामने, स्तंभ (2) में प्रविष्टियों के स्थान पर, "3901 से 3915 (3904 और 3908 के सिवाय)" प्रविष्टियां रखी जाएगी;

(19) क्रम सं. 263, क्रम सं. 264, क्रम सं. 266, क्रम सं. 274, क्रम सं. 275 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(20) क्रम सं. 277 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"277क.	3920 10 99	शीर्ष 8523के अधीन आने वाले स्मार्ट कार्ड के विनिर्माण में उपयोग के लिए कैलेंडर्ड प्लास्टिक शीट	5%	-	9";

(21) क्रम सं. 278, क्रम सं. 286 और क्रम सं. 287 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(22)क्रम सं. 293 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"293क.	48	अखबारी कागज – (i) 28 से.मी. से अधिक चौड़ाई के रोलों या स्ट्रिपों में ; या (ii) आयताकार (जिसके अंतर्गत वर्गाकार भी है) शीट, खुली हुई स्थिति में, जिसमें एक तरफ की चौड़ाई 28 से.मी. से अधिक और दूसरी तरफ की 15 से.मी. से अधिक हो ;	5%	-	31;
293ख	48	अखबारी कागज के मुद्रण के लिए प्रयुक्त किसी प्रकार का अविलेपित कागज, जिसके भार के आधार पर कुल फाईबर अंतर्वस्तु में कम से कम 50% ऐसे काष्ठ फाईबर से मिल कर बना है जिसे प्रत्येक ओर से 2.5 माइक्रो मीटर (माइक्रोन) से अनधिक भार में 40 ग्राम प्रति वर्ग मीटर और भार में 65 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से	5%	-	31";

		अनधिक के सर्फेस रफनेस पार्कर प्रिंट सर्फ (1एमपीए) वाले साइज्ड या अत्यंत हल्के साइज के मैकेनिकल या रसा-मैकेनिकस प्रक्रिया द्वारा अभिप्राप्त किया गया है			

(23) क्रम सं. 296 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"296क.	4810	पत्रिकाओं के मुद्रण के लिए वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा आयातित हल्के भार वाला विलेपित कागज, जो 70 ग्राम प्रति वर्ग मी. तक भार वाला हो	5%	-	9";

(24) क्रम सं. 304 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"304क.	4907 00 20	कागजी मुद्रा	कुछ नहीं	कुछ नहीं	- ";

(25) क्रम सं. 331 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(26) क्रम सं. 344 के सामने, स्तंभ (4) में, स्तंभ (3) की मद सं. (ii) के सामने प्रविष्टि के स्थान पर "0.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(27) क्रम सं. 346 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "0.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(28) क्रम सं. 347 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "0.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(29) क्रम सं. 348 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "0.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(30) क्रम सं. 360 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "0.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(31) क्रम सं. 361 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "0.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(32) क्रम सं. 362 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(33) क्रम सं. 364 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् : -

"364क	7112	स्पेंट केटलिस्ट या राख जिसमें कीमती धातु अंतर्विष्ट हो ;	11.85%	-	9 और 106";

(34) क्रम सं. 377 के सामने, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"निम्नलिखित से भिन्न सभी माल,-

(i) क्रम सं. 377क के सामने उल्लिखित माल;

(ii) क्रम सं. 377ख के सामने उल्लिखित माल;

(iii) शीर्ष 7323 के अधीन आने वाले माल" ;

(35) क्रम सं. 386, क्रम सं. 388, क्रम सं. 389 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(36) क्रम सं. 397 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(37) क्रम सं. 398, क्रम सं. 401, क्रम सं. 411, क्रम सं. 412 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(38) क्रम सं. 415 के सामने, -

(i) स्तंभ (3) में मद (ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"(ख) केटेलिटिक कनवर्टर या इसके पुर्जों के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल, अर्थात् :-

(i) कच्चा सब्सट्रेट (सिरामिक)

(ii) वाशकोटेड सब्सट्रेट (सिरामिक)

(iii) कच्चा सब्सट्रेट (धातु)

(iv) वाशकोटेड सब्सट्रेट (मेटल)

(v) (टैरिफ मद 7314 14 10 के अधीन आने वाले) स्टेनलेस स्टील वायर क्लोथ स्ट्रिप

(vi) वाश कोट" ;

(ii) स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, दोनों स्थानों पर अंक "7.5" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

(39) क्रम सं. 415 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"415क.	7110	प्लेटिनम या पेलेडियम का निम्नलिखित के विनिर्माण में उपयोग हेतु: - (i) शीर्ष 2843 के अधीन आने वाले सभी माल जिसके अंतर्गत नोबल मेटल कंपाउंड और नोबल मोटल सोल्यूशन भी हैं ;	7.5%	-	9";

		(ii) उपशीर्ष 3815 12 के अधीन आने वाले सभी माल ।			

(40) क्रम सं. 447 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(41) क्रम सं. 448 के सामने, स्तंभ (3) की, मद (क) में, उप-मद (x) का लोप किया जाएगा;

(42) क्रम सं. 451 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"451क.	8419 89 10	दाब-पात्र से भिन्न सभी माल	7.5%	-	-";

(43) क्रम सं. 456, क्रम सं. 457, क्रम सं. 459, क्रम सं. 465 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(44) क्रम सं. 468 के सामने, स्तंभ (3) में मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्: -

"(ii) सेलूलर मोबाइल फोनों के विनिर्माण में उपयोग के लिए फिंगरप्रिंट रीडर/स्कैनर से भिन्न फिंगरप्रिंट रीडर/स्कैनर";

(45) क्रम सं. 474, क्रम सं. 483, क्रम सं. 484, क्रम सं. 486 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(46) क्रम सं.489क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"489ख.	8518	टैरिफ 8518 10 00 के अधीन आने वाले माइक्रोफोनों के विनिर्माण के उपयोग के लिए निम्नलिखित माल, अर्थात्: - (i) माइक्रोफोन कार्टेज; (ii) माइक्रोफोन होल्डर; (iii)माइक्रोफोन ग्रिल; (iv)माइक्रोफोन बाडी ।	कुछ नहीं	-	9";

(47) क्रम सं. 506 के सामने, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् : -

"(क) टैरिफ मद 8517 62 30 के अधीन आने वाले ब्रोडबैंड मोडेम के विनिर्माण में उपयोग हेतु पुर्जे, संघटक और साधित्र, निम्नलिखित मदों से भिन्न, अर्थात् : -

(i) पोपुलेटिड मुद्रित सर्किट बोर्ड;
(ii) चार्जर या पावर एडेप्टर

(ख) उपरोक्त (क) के अंतर्गत आने वाली मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए उप-पुर्जे";

(48) क्रम सं. 507 के सामने, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् : -

"(क) टैरिफ मद 8517 62 90 के अधीन आने वाले राउटरों के विनिर्माण में उपयोग हेतु पुर्जे, संघटक और साधित्र, निम्नलिखित मदों से भिन्न, अर्थात् :-

(i) पोपुलेटिड मुद्रित सर्किट बोर्ड;
(ii) चार्जर या पावर एडेप्टर

(ख) उपरोक्त (क) के अंतर्गत आने वाली मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए उप-पुर्जे ";

(49) क्रम सं. 508 के सामने, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् : -

"(क) टैरिफ मद 8517 69 60 के अधीन आने वाले इंटरनेट प्राप्ति हेतु सेटअप बक्सों के विनिर्माण में उपयोग हेतु पुर्जे, संघटक और साधित्र, निम्नलिखित मदों से भिन्न, अर्थात् :-

(i) पोपुलेटिड मुद्रित सर्किट बोर्ड;

(ii) चार्जर या पावर एडेप्टर

(ख) उपरोक्त (क) के अंतर्गत आने वाली मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए उप-पुर्जे ";

(50) क्रम सं. 510 के सामने, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् : -

"(क) टैरिफ मद 8528 71 00 के अधीन आने वाले टेलीविजन के लिए रिसेप्शन उपकरण के विनिर्माण में प्रयोग, किंतु जो किसी वीडियो डिस्प्ले को समाहित करने के लिए डिजाइन नहीं किए गए हों, पुर्जे, संघटक और साधित्र, निम्नलिखित मदों से भिन्न, अर्थात् :-

(i) पोपुलेटिड मुद्रित सर्किट बोर्ड;

(ii) चार्जर या पावर एडेप्टर

(ख) उपरोक्त (क) के अंतर्गत आने वाली मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए उप-पुर्जे ";

(51) क्र.सं. 515 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(52) क्रम सं. 524 के सामने, स्तंभ (3) की मद (2) के सामने स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर "40%" प्रविष्टि 1 अप्रैल, 2020 से रखी जाएगी ;

(53) क्रम सं. 525 के सामने, स्तंभ (3) में,-

(क) मद (1) की उप-मद (क) के सामने, स्तंभ (4) में "15%" प्रविष्टि, 1 अप्रैल, 2020 से रखी जाएगी ;

(ख) मद (1) की उप-मद (ख) के सामने, स्तंभ (4) में "25%" प्रविष्टि, 1 अप्रैल, 2020 से रखी जाएगी ;

(ग) मद (2) के सामने स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर "40%" प्रविष्टि, 1 अप्रैल, 2020 से रखी जाएगी ;

(54) क्रम सं. 526क के सामने, स्तंभ (3) में,-

(क) मद (1) की उप-मद (क) के सामने स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर "15%" प्रविष्टि, 1 अप्रैल, 2020 से रखी जाएगी ;

(ख) मद (1) की उप-मद (ख) के सामने स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि, 1 अप्रैल, 2020 से रखी जाएगी ;

(55) क्रम सं. 531क के सामने, स्तंभ (3) में,-

(क) मद (1) की उप-मद (क) के सामने स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर "15%" प्रविष्टि, 1 अप्रैल, 2020 से रखी जाएगी ;

(ख) मद (1) की उप-मद (ख) के सामने स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर "25%" प्रविष्टि, 1 अप्रैल, 2020 से रखी जाएगी ;

(56) क्रम सं. 539क के सामने, स्तंभ (6) में प्रविष्टि के स्थान पर "107" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(57) क्रम सं. 603 के सामने स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"जल आपूर्ति परियोजना

स्पष्टीकरण - अधिसूचना सं.42/96-सीमाशुल्क तारीख 23 जुलाई, 1996 [सा.का.नि.294(अ) तारीख 23 जुलाई, 1996] के शीर्ष 9801 की मद सं. 26 और मद 26क के अधीन अधिसूचित जल आपूर्ति परियोजना";

(58) क्रम सं. 612 के सामने स्तंभ (3) की मद (घ) में "विलो क्लेफ्टस" प्रविष्टि के स्थान पर विलो क्लेफ्टस, विलो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

II. उपाबंध में,-

(i) शर्त सं. 1,8,11,23,37,46 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ii) शर्त सं. 51 के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात् :-

"51.	(1) यदि आयातकर्ता, आयात के समय, सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त को, यथास्थिति, ऐसे अधिकारी से, जो भारत सरकार के उर्वरक विभाग में उप सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, से ऐसा प्रमाणपत्र देता है कि माल विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अपेक्षित है और ऐसा अधिकारी इस छूट को अनुदत्त करने की सिफारिश करता है ; (2) सारणी के क्र.सं. 408 के सामने स्तंभ (3) की मद (ख) के अंतर्गत आने वाले माल के आयात का मूल्य उक्त प्रविष्टि के स्तंभ (3) की मद (क) के अधीन आने वाले आयातित माल के मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा; (3) यदि आयातकर्ता, यथास्थिति, सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त को इस आशय का एक वचनबंध देता है कि उक्त आयातित माल का उपयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाएगा और ऐसे प्रयोजनों के लिए माल का उपयोग करने में उसके असफल होने की दशा में, वह उक्त आयातित माल पर, यदि इस अधिसूचना के अधीन छूट न

	दी गई होती तो उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के पहले ही संदत्त शुल्क के बीच के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

(iii) शर्त सं. 78 में,-

(क) खंड (ii) का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (iii), खंड (ii) के रूप में पुनः संख्यांकित की जाएगी और ऐसी पुनः संख्यांकित खंड (ii) में "मद (ग)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर "मद(ख)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iv) शर्त सं. 105 के पश्चात् निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

शर्त सं.	शर्त
"106	यदि आयातकर्ता निकासी के समय और स्थान पर,- (i) यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त को स्पेंट केटेलिस्ट में अंतर्विष्ट कीमती धातु की प्रतिशतता की बाबत या आयातित किए जाने वाले कीमती धातु अंतर्विष्ट करने वाली राख और उक्त माल के बारे में एक वचनबंध देता है कि उक्त माल कीमती धातुओं की प्रतिप्राप्ति के लिए आयातित किए गए हैं; (ii) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से स्पेंट केटेलिस्ट या राख अंतर्विष्ट करने वाले कीमती धातु के पुनः उपयोग या प्रतिप्राप्ति के लिए आयात के प्रयोजन हेतु अनुज्ञा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है ।
107.	यदि आयातकर्ता आयात के समय, भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग में उप सचिव से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी से प्रमाणपत्र यह प्रमाणित

	करते हुए, यथास्थिति, सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करता है कि उक्त सारणी के क्रम सं. 539क के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट माल प्रक्षेपण यान और उपग्रहों तथा पेलोड के लांच के लिए अपेक्षित है ।

III. सूची 8,9,14,15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

IV. सूची सं. 30 में, मद सं. ङ की उप-मद सं. (9) के सामने, "गंभीर शारीरिक रूप से दिव्यांग मरीजों के लिए इंप्लांट और जोड़ प्रतिस्थापन तथा मेरुदंडीय इंप्लांट जिसके अंतर्गत हड्डी सीमेंट भी है", प्रविष्टि रखी जाएगी ;

[फा.सं. 334/2/2020-टीआरयू]

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं.50/2017-सीमाशुल्क तारीख 30 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.सं.785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई और अधिसूचना सं. 37/2019-सीमाशुल्क, तारीख 30 दिसंबर, 2019, सा.का.नि. सं. 965(अ), तारीख 30 दिसंबर, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई ।